(ii) निविदादाता व्यक्ति/फर्म न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानों का पालन करेगी।

(iii) निविदादाता व्यक्ति/फर्म संगत विधि/नियम/स्थानीय निकायों के निर्देश आदि के दृष्टिगत यथावश्यक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेगी।

(iv) निविदादाता व्यक्ति/फर्म सफाई कार्य से संबन्धित उपकरण अपने स्वामित्व या उन्हें लीज पर लेकर सफाई कार्य सुनिश्चित करेगी।

3. ठेकेदार को कम से कम 08 सफाईकर्मी एवं 01 ट्रैक्टर ट्राली चालक सहित तथा पर्याप्त मात्रा में फावड़े, घास काटने वाली मशीन, तलवार आदि प्रतिदिन लगाकर सफाई कार्य करना होगा। मजदूरों में कोई भी अल्पसंख्यक तथा बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सफाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्री की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

4. सफाई कर्मचारियों को समान वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा जो उन्हें ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी। सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वयं ठेकेदार को करने होंगे। यदि कोई सफाई कर्मी किसी गैर कानूनी क्रियाकलाप में लिप्त पाया जाता है या उसके द्वारा अभद्रता की जाती है या किसी सामान की चोरी की शंका होती है तो ऐसी स्थिति में मण्डी समिति को अधिकार रहेगा कि ऐसे सफाई कर्मी को तत्काल परिसर से हटा दें एवं इस प्रकार मण्डी समिति को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। ऐसी राशि ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती की जा सकेगी।

5. ठेका स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियमानुसार देय मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध एक सप्ताह में करना होगा तथा नियत तिथि से कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा। अनुबन्ध का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। नियत तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में शर्त संख्या 18(क) के अनुसार प्रतिदिन कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

6. ठेके का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तांतरण नहीं होगा तथा ठेके की स्वीकृत राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि/पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।

7. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार सम्भागीय समिति का होगा।

8. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/स्वीकर्ता का होगा।

9. निविदा तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की गई हैं, जिसमें एक लिफाफे में ठेके से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज (तकनीकि बिड) एवं दूसरे लिफाफे में निविदा की दरें (वित्तीय बिड) रखी जायेगी। उपरोक्त दोनों लिफाफों में से तकनीकि बिड वाले लिफाफे के ऊपर तकनीकि बिड एवं निविदादाता का नाम तथा दूसरे वित्तीय बिड वाले लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड तथा निविदादाता का नाम अंकित किया जायेगा, उक्त दोनों लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखें जायेंगे। सर्वप्रथम तकनीकि लिफाफा खोला जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज चैक करने के उपरान्त ही वित्तीय दरें (बिड) खोली जायेगी। यदि तकनीकि बिड के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख गलत अथवा अपूर्ण पाये जाते है तो उसकी दरें (वित्तीय बिड) नहीं खोली जायेगी।

10. निविदादाता निविदा की समस्त शर्तों का पालन करेगा, शर्तों का पालन न किये जाने पर अथवा कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गयी कटौती /दण्ड उसे स्वीकार होगा।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

कार्यालय दूरभाष – 05921–250602
सचिव मो0 नं0 – 8765956925

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल)

पत्रांकः 1221

दिनांकः 24-03-2018

ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी के अधीन नवीन मण्डी स्थल चन्दौसी, सम्भल में वित्तीय वर्ष 2018–19 के एक बर्ष के लिए सफाई कार्यो हेतु निविदायें दिनांक 07.04.2018 तक आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेवसाइट **https://etender.up.nic.in** पर दिनांक 31.03.2018 के प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 07.04.2018 की सायं काल 5:00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। कार्य की निविदा दिनांक 09.04.2018 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0, सी–08 दीनदयाल नगर, कांठ रोड, मुरादाबाद में खोली जायेंगी। पात्र इच्छुक निविदादाता नियम व शर्तो की जानकारी समिति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है अथवा समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते है। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

1. कार्य का नाम – नवीन मण्डी स्थल चन्दौसी, सम्भल की सम्पूर्ण सफाई कार्य एवं निकले हुए समस्त कूड़े कचरे को डम्पिंग ग्राउण्ड तक पहुँचाने का कार्य।
2. कार्य की अनुमानित लागत रू0 1020000.00 (रू दस लाख बीस हजार) मात्र
3. निविदा मूल्य रू0 500+जी0एस0टी0 रू0 90.00 कुल रू0 590.00 मात्र
4. जमानत/धरोहर राशि रू0 102000.00 (रू0 एक लाख दो हजार) मात्र।

(प्रताप सिंह गंगवार)
सचिव

(ओमवीर सिंह)
उपजिलाधिकारी/सभापति

कृषि उत्पादन मण्डी समिमि चन्दौसी (सम्भल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सम्पादक, अमरउजाला/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में राजकीय दरों पर प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु समाचार पत्र की प्रति सहित बिल दो प्रतियों में मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

26/03/18

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल)

पत्रांकः कृ0उ0म0स0 / (सफाई-2018-19) / 2018- 1221 दिनांकः 24-3-2018

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल) के अधीन नवीन मण्डी स्थल चन्दौसी (सम्भल) में वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांकः 01.04.2018 से दिनांकः 31.03.2019 तक) की अवधि में सफाइ कार्यों हेतु निविदायें दिनांकः- 07.04.2018 को आमन्त्रित की जाती है। ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेबसाईटः http://etender.up.nic.in पर दिनांकः- 31.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांकः 07.04.2018 की सायंकाल 5:00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। कार्य की निविदा दिनांकः- 09.04.2018 को प्रातः 11 बजे कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मडी परिषद उ0प्र0, सी0-08, दीनदयाल नगर, काँठ रोड मुरादाबाद में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता कोई भी जानकारी समिति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं अथवा समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं। समस्त नियम एवं शर्तें टेण्डर पर भी अंकित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू0 लाख में)	निविदा का मूल्य 18%G.S.T सहित (रू0 में)	जमानत राशि (लाख रू0 में)	कार्य की अवधि	निविदा दाता की श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07
01	नवीन मण्डी स्थल चन्दौसी (सम्भल) में सफाई का कार्य जिसमें स्थल की आन्तरिक सडकों, खुले स्थान, नीलामी चबूतरों व्यापारिक दुकानों के सामने के फड़ों, कार्यालय भवन, किसान विश्रामगृह, चैक पोस्ट, अन्य निर्माण, आवासीय भवन तथा क्रय-विक्रय में प्रयुक्त समस्त स्थान के साथ ही मण्डी में खाली पड़े स्थानों की दैनिक सफाई तथा समस्त भवनों एवं डाऊन पाईपों की सफाई मण्डी के पेड़ पौधे आदि की छिटपुट रंगाई पुताई व पानी की टंकी की सफाई का कार्य वर्ष में दो बार, माह मई एवं नवम्बर में कराये जाने का कार्य।	रू0 10.20 लाख	रू0 590.00	रू0 1.02 लाख	वित्तीय वर्ष 2018-19	कोई भी इच्छुक व्यक्ति /फर्म जो निविदा की शर्तें पूरा करता हो।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल)

लिफाफा संख्याः 01

ठेके से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज

(तकनीकी निविदा)

1. जिलाधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र, जो 2 वर्ष से अधिक पुराना न हो संलग्न किया जाये।
2. विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।
3. निविदादाता / ठेकेदार का श्रम विभाग में पँजीयन प्रमाण–पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये।
4. निविदादाता / ठेकेदार का आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं जी0एस0टी0 नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये।
5. निविदादाता / ठेकेदार का मूल निवास / सामान्य निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये।
6. जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया कम से कम रू0 3.00 लाख का हैसियत प्रमाण–पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाये।
7. रू0 100 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र (शर्त सं0: 2(झ) के अनुसार) संलग्न किया जाये।
8. निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने का मूल्य रू0 500+90 GST अर्थात रू0 590/–की रोकड़ रसीद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ए0पी0एम0सी0 चन्दौसी के नाम देय हो संलग्न किया जाये।
9. जमानत राशि रू0 102,000.00 (रू0 एक लाख दो हजार मात्र) की संलग्न की जाये। संलग्न एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 का खाता संख्या :
   (जो सम्बन्धित सचिव के पदनाम से बन्धक हो)

   दिनांक :

   बैंक का नाम :
10. निविदादाता के पास निम्नलिखित उपकरण उपलबध होने अथवा उसके द्वारा किराये पर लिये जाने का विवरण :–

    (अ) कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रेक्टर ट्राली / डम्पर / ट्रक कर विवरण :–

    (कौन–कौन से उपकरण उपलब्ध हैं):–

    (ब) घास काटने की मशीन

    (उपलबध है या नहीं):–

    (स) अन्य कौन–कौन से उपकरण उपलबध है :–

    (कौन–कौन से उपकरण उपलब्ध हैं):–

निविदादाता के हस्ताक्षर.........................

निविदादाता का नाम.........................

मोबाइल नम्बर.........................

आधार संख्या.........................

सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

चन्दौसी (सम्भल)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल)

लिफाफा नं0: 02
निविदा की दरें
(वित्तीय निविदा)

01. कार्य का विवरण :नवीन मण्डी स्थल चन्दौसी जनपद सम्भल(उ0प्र0) की सफाई का कार्य।

02. कार्य अवधि :दिनांक: 01.04.2018 से 31.03.2019 तक

03. निविदा का मूल्य :रू0 590/–, रोकड़ रसीद संख्या ....दिनांक.......
या ड्राफ्ट सं0...........दिनांक.......... बैंक का नाम..................

04. आवेदक/निविदादाता का नाम :..

05. पिता का नाम :..

06. स्थाई पता :..
:..

07. पत्र व्यवहार का पता :..
:..
:..

08. समाचार पत्र....................................में प्रकाशित निविदा सं0.......................दिनांक....................के क्रम में मैं (ठेकेदार का नाम).. रू0..प्रतिमाहपर सफाई सम्बन्धी समस्त कार्य करने को तैयार हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर....................................
आवेदक का नाम....................................
मोबाइल नम्बर....................................
आधार संख्या....................................

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी जनपद सम्भल
(गल्ला खण्ड एवं फल–सब्जी खण्ड) की सफाई के लिए नियम एवं शर्ते–

1. सफाई ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक: 01.04.2018 से दिनांक: 31.03.2019 तक) के लिये होगी।
2. निविदादाता/ठेकेदार द्वारा तकनीकि बिड के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे –
   (क) निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने सम्बन्धी रू0 500+90 =590.00 की रोकड़ रसीद अथवा निविदा वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में रू0 590.00 मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो ए0पी0एम0सी चन्दौसी के पक्ष में देय हो।
   (ख) निविदादाता/ठेकेदार द्वारा जमानत राशि के रूप में रू0 102,000.00 (रू0 एक लाख दो हजार मात्र) का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0, जो निविदादाता/ठेकेदार के नाम से बना हो तथा सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति चन्दौसी (सम्भल) के पदनाम से बन्धक होनी चाहिए। (जमानत राशि नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी)
   (ग) निविदादाता/ठेकेदार का चरित्र प्रमाण–पत्र। (जो जिलाधिकारी से जारी हो और 02 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
   (घ) निविदादाता/ठेकेदार के कारोबार का विगत तीन निरन्तर वर्षों के टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र।(तीनों वर्ष के टर्नओवर धनराशि का योग इस टेण्डर के लिए आगणित वार्षिक धनराशि रू0 10,20,000.00 से कम नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में, जो लिखित की जायेगीं, विगत तीन वर्षों के टर्नओवर का योग इस टेण्डर की वार्षिक आगणित धनराशि रू0 10,20,000.00 से 50 प्रतिशत तक कम हो तो उस पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु उसकी जमानत धनराशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी। परन्तु विगत तीन वर्षों के टर्नओवर का योग टेण्डर के लिये वार्षिक धनराशि रू0 10,20,000.00 के आधे से कम है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा। जमानत धनराशि की वृद्धि अगले 15 दिवस में जमा की जायेगी।
   (ङ) निविदादाता/ठेकेदार का श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रति।
   (च) निविदादाता/ठेकेदार का आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं जी0एस0टी0 नम्बर की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
   (छ) निविदादाता/ठेकेदार का मूल निवास/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
   (ज) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त कम से कम रू0 3.00 लाख का हैसियत प्रमाण–पत्र
   (झ) निविदादाता/ठेकेदार द्वारा रू0 100/– मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, जिसमें अन्य आवश्यक तथ्यों के साथ–साथ मुख्यतयः निम्न तथ्य उल्लेखित हों देना होगाः–
   (i) निविदादाता व्यक्ति/फर्म को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय स्वायत्तशासीसंस्था/केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग/राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में से किसी के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

11. ठेकेदार को आन्तरिक सडकों, खुले स्थान, नीलामी चबूतरों तथा व्यापारिक दुकानों के सामने के फड़ों, कार्यालय, किसान विश्रामगृह, चेकपोस्ट, अन्य निर्माण, आवासीय भवन तथा क्रय–विक्रय में प्रयुक्त समस्त स्थान एवं मण्डी में खाली पड़े उपेक्षित स्थानों की भी दैनिक रूप से सफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त नाली/नालों की भी दैनिक सफाई करनी होगी और एकत्रित कूडे को मण्डी स्थल से बाहर उपयुक्त स्थान पर प्रतिदिन निस्तारित करना होगा।

12. मण्डी स्थल से सडे–गले पदार्थों, मृत जानवरों का निस्तारण मण्डी स्थल के बाहर प्रतिदिन करना होगा।

13. मण्डी स्थल में वांछित स्थानों पर कीटनाशक दवाओं एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव करना होगा। विशेष अवसरों एवं किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय चूने आदि का छिड़काव कराना होगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या के अन्तर्गत ही आवश्यकतानुसार एक कर्मी ऐसा भी उपलब्ध कराया जायेगा जो मण्डी में लगे वृक्षों आदि पर सामान्य प्रकार की रंगाई पुताई कर सके। इस कार्य के लिये उपकरण एवं सामान आदि समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

14. मण्डी परिसर के समस्त भवनों की छतों एवं डाउन पाईपों की सफाई दो बार (माह मई एवं नवम्बर में) अनिवार्य रूप से करनी होगी। यह कार्य कराये जाने पर ही माह मई एवं नवम्बर के बिलों का भुगतान किया जायेगा।

15. मण्डी स्थल में निर्मित शौचालयों/मूत्रालयों आदि की भी सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी।

16. मण्डी स्थल से जल निकास सम्बन्धी नाली/नालों की सफाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा।

17. मण्डी समिति कार्यालय में अनुरक्षित सफाई पंजिका में सफाईकर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगें, जिसकी जॉच सचिव मण्डी समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा प्रतिदिन तथा सचिव मण्डी समिति द्वारा समय–समय पर की जायेगी।

18. मण्डी सचिव के निर्देशानुसार मण्डी परिसर के अन्य स्थानों की सफाई का कार्य किया जायेगा। कार्य के दौरान किसी सफाई कर्मी के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी समिति की नहीं होगी।

19. कार्य संतोषजनक न होने एवं निविदा की शर्तों का उल्लघंन किये जाने की दशा में भुगतान से कटौती करके जमानत राशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति को होगा।

स्थल पर कार्य न होने/असंतोषजनक रूप से होने की दशा में जमानत राशि/मासिक धनराशि से निम्नलिखित प्रकार से कटौती की जायेगी।

(क) निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर, कम मजदूरों की दैनिक मजदूरी का दो गुना धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ख) मुख्य व्यापार स्थल एवं सडकों पर झाडू लगाना व कूडा निस्तारण नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ग) सडकों व दुकानों एवं भवनों के मध्य के खाली स्थानों पर झाडू लगाना व कूडा निस्तारण नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(घ) शौचालयों एवं नालियों की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)

(ड़) मण्डी में रिक्त पड़ी भूमि की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(च) बाऊण्ड्रीवाल के आस-पास के क्षेत्र की सफाई नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

(छ) मण्डी स्थल के एकत्र कूडे को मण्डी के बाहर ले जाने का कार्य नहीं किये जाने पर दैनिक ठेका राशि की 1/6 धनराशि की कटौती की जायेगी।

उपरोक्त में से प्रत्येक कार्य प्रतिदिन किये गये अथवा नहीं इस आशय की एक सफाई पंजिका समिति कार्यालय में अनुरक्षित होगी। प्रत्येक कार्य की निगरानी के लिये सचिव द्वारा समिति कार्मिकों की जिम्मेदारी नियत की जायेगी। सफाई पंजिका में प्रत्येक माह में 02 भाग बनाये जायेंगे। भाग-1 में सफाई कर्मियो की उपस्थिति दर्ज होगी तथा भाग-02 में प्रतिदिन कौन सा कार्य किया गया अथवा नहीं किया गया इसका उल्लेख होगा।

तदनुसार ही सफाई ठेकेदार के बिल का भुगतान/कटौती की जायेगी। गलत रिपोर्ट अंकित किये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक की जिम्मेदारी नियत की जायेगी।

20. सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए व्यापारियों और मण्डी कर्मचारियों की एक समिति (सफाई निगरानी समिति) गठित की जायेगी जो सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेगी और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर लिखित सूचना संबन्धित मण्डी समिति को देगी।सफाई ठेके का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा जिसमें सफाई निगरानी समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया जायेगा।

21. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर सचिव द्वारा ठेकेदार के बिल से मजदूरी की कटौती करते हुए उसे नोटिस दिया जायेगा तथा निरन्तर एक सप्ताह तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस देते हुऐ जमानत धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार समिति को होगा। इसके अतिरिक्त सफाई संतोषजनक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

22. नियमानुसार स्रोत पर कटौती किए जाने विषयक विधिक प्राविधानों के अंतर्गत आयकर एवं अन्य करों की ठेकेदार के बिल से कटौती की जाएगी तथा अन्य ऐसे कर, फीस या विधिक प्राविधानों के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि आदि जो निविदादाता द्वारा जमा की जानी हो, उन्हें निविदादाता द्वारा जमा किया जाएगा।

23. ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/सुपरवाईजर को बताये जाने पर यदि सफाई का कोई कार्य नही कराया जाता है या कोई सफाई उपकरण, ब्लीचिंग पाऊडर, चूना या सफाईकर्मियों की वर्दी आदि कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मण्डी समिति द्वारा स्वयं व्यय कर उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जा सकेगी।

सचिव मण्डी समिति चन्दौसी	सभापति मण्डी समिति चन्दौसी	सं0 लेखाधिकारी मण्डी परिषद, उ0प्र0 मुरादाबाद।	उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उ0प्र0 मुरादाबाद।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
चन्दौसी (सम्भल)